मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 140/196/ब-6/2011/चार   भोपाल, दिनांक 16 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

विषयः- छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति का भुगतान।

विषयान्तर्गत शासकीय भुगतानों के लिये इलेक्ट्रानिक पद्धति (ECS) के शत-प्रतिशत के उपयोग के लिये राज्य शासन सतत् प्रयत्नशील है। छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति भी ऐसे भुगतान है जो संबंधित छात्रों के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे जमा किये जाने चाहियें। इन भुगतानों को संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा किये जाने से न केवल सही हितग्राही की पहचान बनी रह सकेगी अपितु त्रुटिपूर्ण/कपटपूर्ण भुगतान की संभावनाओं में भी कमी आयेगी।

2. अतः छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के भुगतान के लिये निम्नांकित पद्धति निर्धारित की जाती हैः-

(i) पोष्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाये।

(ii) अन्य छात्रवृत्तियां जो कि कक्षा 9 से 10 के छात्रों को भुगतान की जाती है के लिये उस स्थिति में जबकि संबंधित स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा है तब उपयुर्क्त (i) के अनुसार भुगतान किया जाये।

(iii) कक्षा 6 एवं उससे ऊपर की शिष्यवृत्तियों के भुगतान के लिये शिष्यवृत्ति की 90 प्रतिशत राशि हितग्राही व छात्रावास अधीक्षक के संयुक्त बैंक खाते तथा शेष 10 प्रतिशत राशि हितग्राही के बैंक खाते में सीधे जमा करने की व्यवस्था यथास्थिति लागू की जाये। यह कार्यवाही उन्ही छात्रावासों में की जानी होगी जहॉ राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त निर्देश दिनांक 1-6-2011 से लागू होंगे।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 141/196/ब-6/2011/चार   भोपाल, दिनांक 16 मई, 2011

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल।
3. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा की ओर पालनार्थ।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग